Govt.of MadhyaPradesh
मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)
Phone No. +917732-252135 (O) Fax. +917732-252120
E-mail: fdptr82@gmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve
पन्ना टाइगर रिज़र्व

क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 1798 / पन्ना, दिनांक– 29/12/2022
प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– **Consultancy Services for Perparation of Detailed Project Report of newly declared National Highways Km 43.00 to 77.00 on NH-43 Extn. In the State of Madhya Pradesh for upgradation to 2/4- lane with paved shoulder Reg.- Forest land area in Panna Buffer zone.**

संदर्भ :– कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.रा. संभाग सागर का पत्र क्रमांक / 1454 / कार्य / 2021–22 दिनांक 17.06.2021

––00––

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.रा. संभाग सागर द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 विस्तार (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी) मार्ग के कि.मी. 43.00 सें 77.00 के विस्तार हेतु 31.90 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु अनुमति के संबंध में ऑन लाईन आवेदन क्रमांक FP/MP/ROAD/121709/2021 दिनांक 17.06.2021 को प्राप्त हुआ है जिसमें सहायक संचालक पन्ना एवं अधीक्षक केन घड़ियाल अभ्यारण्य खजुराहो द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें पन्ना जिले की वनभूमि 6.4 हेक्टेयर एवं छतरपुर जिले की वनभूमि 25.42 हेक्टेयर अतः इस प्रकार कुल प्रभावित वनभूमि 31.82 हेक्टेयर पाई गई। प्रभावित वनभूमि के बदले में दुगने विगड़े वनक्षेत्र में 70.00 हेक्टेयर की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना की प्रति 03 प्रतियों में संलग्न है। उक्त प्रभावित वनभूमि में कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या 8066 नग पाये गये है।

उक्त ऑन लाईन प्रस्ताव भाग II की पूर्ति करते समय बिन्दु क्रमांक 3 में जिलेवार क्षेत्रफल में केवल पन्ना जिले का ही विकल्प खुला होने के कारण पन्ना एवं छतरपुर का कुल क्षेत्रफल 31.82 हेक्टेयर की प्रविष्टि की गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव में ऑन लाईन भाग II एवं भाग III की पूर्ति कर अनुसंशा सहित प्रस्ताव की हार्ड कॉपी 03 प्रतियों में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बृजेन्द्र झा)
क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 2022 / 1799 पन्ना, दिनांक 29/12/2022
प्रतिलिपि:– उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner

भाग–III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 27.12.2022 प्रस्तावित मार्ग पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित होने वाली वनभूमि में से बीट शाहपुरा वनकक्ष क्रमांक पी–514, पी–519, बीट बसुधा वनकक्ष क्रमांक पी–520, पी–521 एवं बीट राईपुरा के वनकक्ष क्रमांक पी–454 क्षेत्र बाघ एवं अन्य वन्यप्राणी बहुल्य क्षेत्र है। मार्ग के दोनो ओर बाघ एवं अन्य वन्यप्राणीयों द्वारा मार्ग के एक तरफ से दूसरी तरफ निरंतर विचरण/आवागमन किया जाता है। अतः उपरोक्त क्षेत्र में बाघ एवं अन्य वन्यप्राणीयों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये एन.टी.सी.ए. की गाईड लाईन अनुरूप अण्डरपास/ओवरपास बनाया जाना आवश्यक होगा।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है, यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रस्ताव पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के (गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी) मार्ग के कि.मी. 43.00 से 77.00 के विस्तार/चौड़ीकरण का 31.90 हेक्टेयर वनभूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें 31.82 हेक्टेयर वनभूम प्रभावित होना पाया गया। अतः उक्त प्रस्ताव पर अनुसंशा की जाती है।

तिथि :–

स्थान :–

क्षेत्र संचालक
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner